न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Bsw-D 93/2016 श्री नारहींग बनाम श्री मड़ीया

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़ दिनांक 21–06–2016 प्रकरण स्रंख्या 132/2009 वाद —————————	
22–03–2018	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण में सुनी गई बहस व पत्रावली का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में दिनांक 4–4–2016 को पत्रावली शहादत वादी में लम्बित थी, जिसमें आगामी पेशी दिनांक 7–6–2016 दी गई, परन्तु दिनांक 7–6–2016 के स्थान पर पत्रावली दिनांक 21–6–2016 को पेश हुई तथा 21–6–2016 को प्रतिवादी अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उसे सूचित किये बिना व सुने बिना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकीयात कायम किये बिना, मुतफरिक आवेदन का निस्तारण किये बिना, उभयपक्ष के साक्ष्य सबूत लिए बिना, दिनांक 21–6–2016 को वादी रेस्पोन्डेन्ट का वाद डिक्री कर दिया। स्पष्टतया अपीलान्ट प्रतिवादी को निर्णय की जानकारी होने का कोई तथ्य व साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतएव मयाद आवेदन व अखण्डित शपथ पत्र के आधार पर मयाद कण्डोन की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के प्राकृतिक न्याय तथा तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण निर्णय होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21–6–2016 अपास्त की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को **प्रतिप्रेषित** कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये जाने का अवसर देकर प्रकरण में मुतफरिक आवेदन का विधिक निस्तारण कर प्रकरण में विधिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 23–5–2018 को उपस्थित होवें। पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22–03–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(एल.एन. मंत्री)** **भू–प्रबन्ध अधिकारी** **एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी** **उदयपुर**	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Bsw-D 93/2016 श्री नारहींग बनाम श्री मड़ीया

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** ....मुकाम ....
उदयपुर व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री गणेश लाल नागदा पिता श्री कालूलाल नादा निवासी पुला शोभागपुरा रोड़ पटवार मण्डल के पास शोभागपुा स्कूल के सामने तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

बनाम

श्री भंवर लाल पिता श्री तेजपाल कटारिया निवासी 343 भोपालपुरा उदयपुर (राज0) अन्य 10 व सरकार

अपील नं0 84/2012 बनाराजगी डिगरी अदालत .... सहायक कलक्टर मु0...... .... उदयपुर .... मुकाम मुर्क्खे...........27............. माह ....02........... 1993

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ...... 15..... माह ......06.......... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री सत्य प्रकाश व्यास .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....श्री संजय बोहरा .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अतः अपील अपीलान्ट दूषित (Defectiv) होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–2–1993 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........15..... माह ...06........ 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील .... 2. स्टाम्प वकालत नामा....... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।